सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी जिला–अजमेर (राज.)

राजस्व वाद संख्या –95/2018

पीठासीन अधिकारीः–श्री नीरज कुमार मीना (आर.ए.एस.)

इरफान अली पुत्र कुरबान खान जाति मुसलमान निवासी सावर तहसील सावर अजमेर

वादी

बनाम

1. गोपाल पुत्र भूरा जाति कुम्हार
2. प्रेम पत्नि भूरा जाति कुम्हार
3. रामराय पुत्र भूरा जाति कुम्हार
4. सत्यनारायण पुत्र भूरा जाति कुम्हार
5. कमलेश पुत्र भूरा जाति कुम्हार
   समस्त निवासी होली का खूंटा जहाजपुर गेट सावर तहसील केकडी जिला अजमेर
6. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार सावर तहसील सावर जिला अजमेर

प्रतिवादीगण

राज. काश्त. अधिनियम सपठित धारा 128 राजस्थान भूराजस्व अधिनियम

निर्णय

दिनांकः–18.6.2018

पत्रावली आज दिनांक केम्प कोर्ट न्याय आपके द्वार 2018 केम्प सावर में पेश हुई। वादीगण/प्रतिवादीगण उपस्थित। विवरण निम्न प्रकार है–

वादी ने जरिये अधिवक्ता एक वाद अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भूराजस्व अधिनियम के तहत पेश कर निवेदन किया है कि वाके ग्राम सावर तहसील सावर के खाता स. 1130 खसरा नम्बर 3030 रकबा 0.22 हैक्ट., खसरा नम्बर 332 रकबा 0.22 है. ,खसरा नम्बर 3033 रकबा 0.36 है. भूमि प्रार्थी नाम दर्ज खातेदार है। उक्त वादग्रस्त आराजीयात प्रार्थी की खातेदारी की आराजीयात है। प्रार्थी के कब्जे, स्वामित्व एवं आधिपत्य में आ रही है जिसमें अन्य दीगर व्यक्ति का कोई हक अधिकार नही है। प्रतिवादीगण 1 लगायत 5 का उक्त आराजीयात में पडोसी खातेदार है। प्रतिवादीगण आये दिन लडाई झगडा पर आमादा है। प्रतिवादीगण 1 लगायत 5 की नियत बद है । वादवर्णित आराजीयात को कब्जा करने व वादीगण को बेदखल करने पर आमादा है। जिसके कारण वादी द्वारा स्वयं की आराजीयात की पत्थगढी किये जाने हेतु यह वाद पेश किया गया है जिसे स्वीकार फरमाया जावें।

हमने वादी का दावा दर्ज मुकदमा रजिस्टर किया। प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया। पत्रावली केम्प कोर्ट सावर में पेश हुई ।

हमने वाद पत्र का अवलोकन किया । प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया। वादग्रस्त आराजीयात वादी की स्वयं की खातेदारी आराजीयात होने से वादी का प्रेमाफैसाई केस होना पाया जाता है तथा वादपत्र का संतुलन भी वादी के पक्ष में होना जाहिर होता है।

अतः वादी का दावा अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम का वाके वाके ग्राम सावर तहसील सावर के खाता स. 1130 खसरा नम्बर 3030 रकबा 0.22 हैक्ट., खसरा नम्बर 332 रकबा 0.22 है. ,खसरा नम्बर 3033 रकबा 0.36 है. भूमि की पत्थरगढी किये जाने हेतु स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार सावर को मौका कमिश्नर नियुक्त कर निर्देशित किया जाता है कि वे नियमानुसार शुल्क जमा राजकोष कर वादग्रस्त भूमि की पत्थरगढी कर मौका रिपोर्ट (पालना)मय मौका पर्चा नजरी नक्शा के न्यायालय हाजा में पेश करें। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हों।

निर्णय आज दिनाक 18.06.2018 को पृथक से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया व मजमे आम में सुनाया गया ।

उपखण्डअधिकारी
केकड़ी